51

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–264–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–01–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–401 /अपील/2006–07

.....

मुस0 रामवती बेवा अनुसुइया प्रसाद द्वारा
मुख्त्यारआम राकेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा
निवासी–ग्राम चंदिया तहसील बांधवगढ़
जिला–उमरिया(म0प्र0)

–––––आवेदक

विरूद्ध

शिवगोविन्द शुक्ला पुत्र श्री जुडामनराम
ग्राम चंदिया तहसील बांधवगढ़,
जिला–उमरिया (म0प्र0)

–––––––अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमित भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक **11.01.2018** को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वर्ष 2001–02 के खसरा में उसका नाम छूट गया है, अतः उसका नाम खसरा में दर्ज किया जाये । नायब तहसीलदार बांधवगढ़ ने आदेश दिनांक 25.09.2004 के द्वारा अनावेदक का

नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका रामवती ने अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो दिनांक 22.11.06 से निरस्त हुई। द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 10.01.08 के द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा खसरा में नाम छूट जाने से नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा खसरा में नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को उचित पाते हुये आवेदिका की अपील को निरस्त किया है। आवेदिका के विद्वान अभिभाषक को यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि विचारण न्यायालय ने नामांतरण आदेश के आधार पर अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण स्वीकार किया गया था, वह अब वर्तमान में इस न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये वह अंतिम नहीं माना जा सकता । यदि इस न्यायालय से उक्त आदेश निरस्त हो जाता है तो इस प्रकरण का गुण–दोषों पर प्रभाव पड़ेगा। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.93 से प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया, जो इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 263–दो/2008 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 से निरस्त किया जा चुका है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय को इस निदर्श के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर विधिवत प्रक्रिया के उपरांत पारित नामांतरण आदेश के आधार पर भूमिस्वामी का नाम राजस्व अभिलेख एवं खसरे में दर्ज करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,